



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042023-244853
CG-DL-E-01042023-244853

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1442]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945

No. 1442]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1495(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 561(E) दिनांक 03.02.2023, जो भारत के राजपत्र सं 532, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के नेमिली (तत्कालीन अरकोनम तालुक) के अवलूर, ओचेरी, पुम्बुलिपक्कम, सिरुकारुंबुर और वालाजाहपेट के तालुक में अम्मानथंगल, कडप्पेरी के गाँव रानीपेट (तत्कालीन वेल्लोर जिला) में NH4 के कि.मी. 86.65 से कि.मी. 107.091 (कराईपेट्टई को वालाजाहपेट) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "दिनामलर" और "हिन्दू" दो नोंमें 10.02.2023 को प्रकाशित किया गया था ;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के नेमिली (तत्कालीन अरकोनम तालुक) के अवलूर, ओचेरी, पुम्बुलिपक्कम, सिरुकारुंबुर और वालाजाहपेट के तालुक में अम्मानथंगल, कडप्पेरी के गाँव रानीपेट (तत्कालीन वेल्लोर जिला) में NH4 के कि.मी. 86.65 से कि.मी.107.091 (कराईपेट्टई को वालाजाहपेट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: वेल्लोर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अराकोणम				
	गांव का नाम: अवलूर				
1	487B/2	निजी	ड्राय	0.0048	कल्पकम् डबल्यू/ओ. सेथुरामन (487बी/2बी)
2	558	सरकारी(बट्टाई)	प्रोम्बोक	0.0165	सलाई (558/1)
	गांव का नाम: ओचेरी				
3	35/1A	निजी	हाउस साइट	0.0023	मोहन एंस्/ओ. पलैयतन (35/1ए)
	गांव का नाम: पेम्बुलिपक्कम				
4	228/2B2	निजी	ड्राय	0.01	पिछंडी एंस्/ओ. वेंकटेश पिल्लै (228/2बी2बी)
5	257	सरकारी(केनाल)	प्रोम्बोक	0.0726	केनाल (257/2)
6	266	सरकारी(केनाल)	प्रोम्बोक	0.0301	केनाल (266/2)
7	311	सरकारी(बट्टाई)	प्रोम्बोक	0.0125	बट्टाई (311/2)
	गांव का नाम: सिरुकरुम्बुर				
8	221/1B1	निजी	वेट	0.0074	अरुलमिगू कणि कोविल (221/1बी1बी)

9	221/2A1	निजी	वेट	0.017	कमिश्नर ओफ पंच्याथु यूनियन (221/2ए1बी)
10	222/2	सरकारी(स्प्रिंग)	प्रोम्बोक	0.0212	स्प्रिंग (222/2बी)
तालुक का नाम: वालजपत					
गांव का नाम: अममानथंगल					
1	246/2	निजी	वेट	0.009	1.बलरामन एँस्/ओ. समयनाइदु 2.वसन्तम्माल डबल्यू/ओ. गजराज (246/2बी)
2	247/2B	निजी	वेट	0.022	वसन्ता डबल्यू/ओ. गजराज (247/2बी1)
गांव का नाम: कडपपेरी					
3	35A/34B	निजी	हाउस साइट	0.0008	सेलवराज एँस्/ओ. थंगावेल नाईकर (35ए/34बी2)
4	35A/35A	निजी	हाउस साइट	0.0017	नारायणन एँस्/ओ. रामासामी चेट्टियार (35ए/35ए2)
5	529/22	निजी	हाउस साइट	0.0021	सुब्रमणि एँस्/ओ. लल्लुमैया चेट्टियार (529/22बी)
6	529/23A	निजी	हाउस साइट	0.0007	कन्नैया चेट्टियार एँस्/ओ. वीरसामी चेट्टियार (529/23ए2)
7	530/8	निजी	हाउस साइट	0.0011	देवेन्द्रण एँस्/ओ. मुरुगप्पा नैकर (530/8बी)
			कुल	0.2318	

[फा. सं. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/WP/LA/3D2]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

S.O. 1495(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.No 561(E) dated 03.02.2023, published in the Gazette of India No.532., Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH4 in the stretch of land from Km 86.65 to Km 107.091 (Karaipet to Walajahpet section) in the villages of Avalur, Ocheri, Prumbullipakkam, Sirukarumbur in the Taluk of Nemili (Erstwhile Arakonam Taluk)and in the Villages of Ammananthangal, Kadapperi in the Taluk of Walajahpet in the district of Ranipet (Erstwhile Vellore District) in the state of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dinamalar” and “The Hindu” both dated 10.02.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection petition was received.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land NH4 (Karaipet to Walajahpet section) in the villages of Avalur, Ocheri, Prumbullipakkam, Sirukarumbur in the Taluk of Nemili (Erstwhile Arakonam Taluk) and in the Villages of Ammananthangal, Kadapperi in the Taluk of Walajahpet in the district of Ranipet (Erstwhile Vellore District) in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU			District: VELLORE		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Arakonam				
	Village: Avalur				
1	487B/2	Private	Dry	0.0048	Kalpakam W/o. Sethuraman 487B/2B
2	558	Government(Battai)	Promboke	0.0165	Salai 558/1
	Village: Ocheri				
3	35/1A	Private	House site	0.0023	Mohan S/o. Palaiyathan 35/1A
	Village: Perumbulipakkam				
4	228/2B2	Private	Dry	0.01	Pichandi S/o. Venkatesa Pillai 228/2B2B
5	257	Government(Canal)	Promboke	0.0726	Canal 257/2
6	266	Government(Canal)	Promboke	0.0301	Canal 266/2
7	311	Government(Battai)	Promboke	0.0125	Battai 311/2
	Village: Sirukarumbur				
8	221/1B1	Private	Wet	0.0074	Arulmigu Kanni Kovil 221/1B1B

9	221/2A1	Private	Wet	0.017	Commissioner of Panchyathu Union 221/2A1B
10	222/2	Government(Spring)	Promboke	0.0212	Spring 222/2B
Taluk: Walajapet					
Village: Ammananthangal					
1	246/2	Private	Wet	0.009	1.Balaraman S/o. Samynaidu 2.Vasanthammal W/o. Gajaraj 246/2B
2	247/2B	Private	Wet	0.022	Vasantha W/o. Gajaraj 247/2B1
Village: Kadapperi					
3	35A/34B	Private	House site	0.0008	Selvaraj S/o. Thangavel Naikkar 35A/34B2
4	35A/35A	Private	House site	0.0017	Narayanan S/o. Ramasamy Chettiar 35A/35A2
5	529/22	Private	House site	0.0021	Subramani S/o. Lachumaiya Chettiar 529/22B
6	529/23A	Private	House site	0.0007	Kannaiya Chettiar S/o. Veerasamy Chettiar 529/23A2
7	530/8	Private	House site	0.0011	Devendiran S/o. Murugappa Naickar 530/8B
			TOTAL	0.2318	

[F. No. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/WP/LA/3D2]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.